

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 15 अक्टूबर 2025, समय 13.05 (5 मिनट))

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक के लाढ़ोत गांव पहुंच कर एसआई संदीप के परिजनों से संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

साइबर सेल में तैनात एसआई संदीप ने कल खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उसने तीन पन्नों का एक सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज छोड़ा था। वीडियो संदेश में उसने स्वर्गीय आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप का खून से लथपथ शव कल लाढ़ोत-धामड़ रोड पर एक मकान से मिला।

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब पेड़ों की शाखाओं की वजह से होने वाले बिजली के व्यवधान की दिक्कत को दूर किया जाएगा और इस संबंध में व्यापक अभियान चलाकर पेड़ों की कटाई व छंटाई करवाई जाएगी, ताकि तेज-हवाओं और ऊंचे व लंबे पेड़ों की शाखाओं की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित न हो। श्री विज ने चण्डीगढ़ में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक के बाद कहा कि यह अभियान पूरे हरियाणा में चलाया जाएगा और इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में यह अभियान व्यापक स्तर पर चलाएं। श्री विज ने कहा कि अधिकारियों को सभी ओवर लोडेड ट्रांसफार्मर बदलने और ओवर लोडेड कंडक्टरों के अपग्रेडेशन के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य जल्द पूरा कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लाईन लॉस को ओर कम किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि “बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए जाने वाले अभियानों में भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री विज ने कहा कि राज्य के सभी कॉल सेंटर सुचारु रूप से संचालित करने और सभी बिजली के कार्यालयों में शिकायत केन्द्र के नंबर प्रदर्शित करने की हिदायत भी की गई है।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की 9 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाकर उनके वितरण के लिए एक निश्चित समय-सीमा निश्चित की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के अंतर्गत शिक्षा ऋण और सूक्ष्म वित्त योजनाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा 135 दिन और सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन तय की गई है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत आने वाली शिक्षा ऋण योजना, महिला अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण वित्त योजना और हरित व्यवसाय योजना की समय-सीमा 135 दिन और सामान्य सावधि ऋण योजना के लिए समय-सीमा 180 दिन निश्चित की गई है। सभी योजनाओं के लिए, संबंधित जिले के जिला प्रबंधक को सेवा

वितरण के लिए जिम्मेदार अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के वरिष्ठ लेखा अधिकारी को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि प्रबंध निदेशक द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

इसके अतिरिक्त, मत्स्य विभाग की एक सेवा को भी सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। जिसके तहत तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान 40 दिनों के भीतर प्रदान किया जाना निश्चित किया गया है।

फरीदाबाद के गांव कौराली में शौर्य चक्र विजेता शहीद देवेंद्र सिंह भाटी की 25वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कल आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में खेल राज्य मंत्री राजेश नागर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात की। श्री नागर ने कहा कि शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की बदौलत ही आज भारत स्वतंत्र और सशक्त राष्ट्र है। शहीद देवेंद्र सिंह भाटी ने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर क्षेत्र और राज्य का गौरव बढ़ाया, जिसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।

श्री नागर ने कहा कि शहीद के नाम पर बना सीनियर सेकेंडरी स्कूल और वीर भूमि बच्चों में देशभक्ति की भावना को जाग्रत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत की सेना पहले की तुलना में अधिक आधुनिक और सशक्त हो चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे सीमाओं की सुरक्षा और भी सुदृढ़ हुई है।

फरीदाबाद पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसकी दुकान से लगभग 64 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं।

पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनज़र पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी लिए यह गिरफ्तारी की गई है।

उन्होंने बताया कि एक सूचना के आधार पर पुलिस ने ओल्ड फरीदाबाद से दुकानदार शिवम शर्मा की बसेलवा कॉलोनी स्थित दुकान पर छापेमारी की और भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने दिवाली के अवसर पर बिक्री के उद्देश्य से यह पटाखे दुकान में रखे थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
